पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

मॉड्यूल

महिला संगठनों की ग्राम सभा में भागीदारी

(परिवर्तन प्रेरकों हेतु)

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

स म र्थ न

सामग्री निर्माण टीम

मनीष श्रीवास्तव, राजेन्द्र बन्धु, दिनेश सिंह,
श्याम श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्र तिवारी, संतोषी तिवारी,
नारायण परमार, राजकुमार मिश्रा, राहुल निगम
एवं विनोद चौधरी

सलाहकार मण्डल

अनिर्बान घोष, योगेश कुमार, गौरव मिश्रा,
श्रद्धा कुमार, सुभाष मेदापुरकर, मीनाक्षी सुन्दरम,
श्याम बोहरे, आर.एन. सियाग, दविन्दर कौर उप्पल,
अशोक सिंह एवं दत्ता गुराव

प्रकाशन वर्ष	:	2017
कुल प्रतियां	:	500
प्रकाशक	:	टीआरआईएफ, समर्थन
सहयोग	:	अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनीशीएटिव्स
मुद्रक	:	गणेश ग्राफिक्स, भोपाल

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

स म र्थ न

यह प्रकाशन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत राजपुर विकासखण्ड में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित परियोजना के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सभा सदस्यों, महिला समूहों, परिवर्तन प्रेरकों और अन्य सामुदायिक संगठनों की क्षमतावृद्धि के लिये तैयार किया गया है।

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

मॉड्यूल

महिला संगठनों की ग्राम सभा में भागीदारी

(परिवर्तन प्रेरकों हेतु)

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

समर्थन

MAHATMA GANDHI
महात्मा गांधी
सबला केन्द्र
किशोरी सजतन स्वास्थ्य
जीवन कौशल शिक्षा

प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि भारत इस विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। गाँधी जी का यह कथन कि भारत विविधता का देश है और ग्राम स्वराज से ही देश टिकाऊ प्रगति कर सकता है, आज भी सार्थक है। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक पहुँचाने तथा स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिये संविधान में 73वाँ व 74वाँ संशोधन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें चुने हुये प्रतिनिधि आम जनता एवं मतदाताओं के बीच रहकर अपनी भूमिका एवं दायित्व निभाते हैं जो कि एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्वरूप है। संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

संविधान संशोधन के उपरांत ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से उत्तरदायी एवं प्रयासरत हैं। इसी क्रम में अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशन (APPI) के सहयोग से ग्राम स्तर पर समुदाय/पंचायत को केन्द्र में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों – आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा स्वच्छता एवं पेयजल जैसे मुद्दों पर एक एकीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के कुछ विकासखंडों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश तथा प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठन एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

विगत ढाई दशकों में ग्राम पंचायतों के पास संसाधन बढ़े हैं तथा युवा नेतृत्व ने अपने अभिनव प्रयासों से स्थानीय स्वशासन एवं विकास के कई उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। परन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक संवहनीय एवं केन्द्रित प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्य एवं दायित्वों से सम्बंधित जानकारी के साथ–साथ सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलेगा तो वे अपनी नियत भूमिकाओं को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने में और भी सक्षम होंगे तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत कर सकेंगे।

अत: पंचायतों को सौंपे गए विभिन्न दायित्वों एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उनकी क्षमतावृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह पठन सामग्री विकसित की गई है। इस सामग्री को विकसित करते समय विषय विशेषज्ञों द्वारा पंचायत से संबंधित विभिन्न आयामों की जानकारियाँ एवं प्रबन्धकीय ज्ञान की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह सामग्री पंचायत प्रतिनिधि, जमीनी स्तर के विभागीय कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं आम ग्रामीण नागरिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पठन सामग्री तैयार करने में सहभागी अभिशासन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न अकादमी से जुड़े स्रोत व्यक्तियों का उनके बहुमल्य योगदान के लिये हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

आशा है कि यह सामग्री आप सभी को उपयोगी एवं रूचिकर लगेगी।

शुभकामनाओं के साथ

योगेश कुमार
समर्थन

गौरव मिश्रा
टी.आर.आई.एफ.

अनुक्रमणिका

क्र.	विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1.	इस मॉड्यूल के बारे में	05
2.	परिवर्तन प्रेरक एवं सहभागियों की भूमिका	06
3.	सहजकर्ता की भूमिका	06
4.	कैसे करें इस मॉड्यूल का उपयोग?	07
बैठक 1	संविधान की समझ	08
बैठक 2	लोकतंत्र की समझ	11
बैठक 3	ग्राम पंचायत की भूमिका और जिम्मेदारियों की समझ	14
बैठक 4	ग्राम सभा की ताकत	16
बैठक 5	ग्राम सभा में भागीदारी एवं फैसला लेना	18
बैठक 6	ग्राम सभा में भागीदारी का फीडबैक	20
बैठक 7	शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) से संवाद	22
बैठक 8	पानी और स्वच्छता	24
बैठक 9	राशन दुकान की निगरानी	26
बैठक 10	ग्राम विकास योजना	28
बैठक 11	भागीदारी का आंकलन	30
बैठक 12	बदलाव का आंकलन	32

इस मॉड्यूल के बारे में 1

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया-टीआरआई (ग्रामीण भारत में सार्थक बदलाव) परियोजना में परिवर्तन प्रेरक (चेंज वेक्टर-सीवी) की एक बुनियादी भूमिका देखी जा रही है। परिवर्तन प्रेरक गांव स्तर पर सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूहों के नेतृत्व कर्ताओं का एक समूह है, जिनकी संख्या एक गांव में 15 से 30 के बीच है। परिवर्तन प्रेरक महिला समूहों का हिस्सा हैं और ये समूहों की बैठकें संचालित करने से लेकर उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

परिवर्तन प्रेरकों द्वारा हर महीने कम से कम एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें वे अपने समूहों की गतिविधियों और गांव के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस तरह परिवर्तन प्रेरक गांवों में महिलाओं और समुदाय की ताकत के रूप में एकजुट होकर सामने आये हैं।

यह स्पष्ट है कि पंचायत एवं गांव स्तर पर कई संस्थाएं काम करती हैं, जिनमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। जबकि स्वयं सहायता समूह महिलाओं का एक ऐसा संगठन है, जिसकी सदस्य ग्राम सभा की सदस्य भी हैं। जब हम संस्था या शासन की बात करते हैं तो यह देखना जरूरी है कि इन संस्थाओं का स्वरूप कैसा है? एवं ये कितनी लोकतांत्रिक हैं? यानी इनमें सभी लोगों को अपनी बात कहने तथा फैसलों में भागीदारी का अवसर उपलब्ध है या नहीं? जब हम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित करने की उम्मीद करते हैं तो हमें यह भी उम्मीद करनी होगी कि स्वयं सहायता समूह भी इसी तरह संचालित हों। यानी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का पहला कदम इन समूहों से होकर ही गुजरता है।

अत: यदि परिवर्तन प्रेरकों की बैठकों को ज्यादा सक्रिय बनाते हुए इन्हें गतिविधि के आधार पर संचालित करते हैं, तो परिणाम अच्छे होंगे। समूह की बैठकों में सहभागियों को अनुभव साझा करने तथा सीखने-सिखाने का अवसर तो मिले ही, साथ ही अपने समूह को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की सोच का निर्माण करते हुए गांव के मुद्दों पर साझा पहल करने की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। इसी जरूरत को देखते हुए यह मॉड्यूल विकसित किया गया है।

मॉड्यूल के उद्देश्य

- समूह संचालन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
- परिवर्तन प्रेरकों एवं समूह सदस्यों में भागीदारी एवं नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना।
- ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं सार्वजनिक सेवाओं में ग्राम संगठन तथा समूह सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- समूह सदस्यों की भागीदारी से ग्राम सभा में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करते हुए स्थानीय स्वशासन को जन-केन्द्रित बनाना।
- परिवर्तन प्रेरकों एवं सहभागियों में निगरानी कौशल का विकास करना।
- समूह की सदस्यों के निगरानी कौशल एवं सहभागिता से सार्वजनिक सेवाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाना।
- समूहों के जरिये स्थानीय स्वशासन में बदलावकारी प्रक्रिया को बढ़ावा देना।

2 परिवर्तन प्रेरक एवं सहभागियों की भूमिका

ग्राम संगठन एवं समूह सदस्य इस मॉड्यूल के प्रमुख आयाम है। अत: इस मॉड्यूल को सहभागी महिलाओं पर केन्द्रित किया गया है। इस मॉड्यूल के संदर्भ में उनकी भूमिका इस प्रकार है –

- सभी परिवर्तन प्रेरकों द्वारा माह में कम से कम एक मीटिंग में उपस्थित होना।
- मीटिंग में होने वाली चर्चाओं एवं गतिविधियों में हिस्सा लेना।
- मीटिंग में अपने विचार एवं सुझाव रखना।
- मीटिंग में तय किए जाने वाले फील्ड वर्क में शामिल होना एवं उसमें तय की गई भूमिका निभाना।
- फील्ड वर्क के दौरान की गई गतिविधियों की रिपोर्ट एवं अनुभव आगामी परिवर्तन प्रेरक मीटिंग में प्रस्तुत करना एवं उस पर चर्चा करना।
- ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी करना।
- विचार विमर्श और निर्णय में भाग लेकर यह देखना कि कार्यवाही विवरण ठीक से लिखा जाये। कार्यवाही विवरण समझकर और सहमत होने पर ही हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना।
- ग्राम सभा में अपने मुद्दे रखने से पहले समूह के अन्य सदस्यों से साझा करना और उनका समर्थन हासिल करना।
- वार्ड पंच एवं समितियों के सदस्यों से सम्पर्क कर, निगरानी एवं अन्य गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में सहायता करना।

सहजकर्ता की भूमिका 3

ग्राम संगठन की बैठक में सहजकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है, किन्तु इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि यह मॉड्यूल बैठक प्रक्रिया में सहजकर्ता की भूमिका पर केन्द्रित न होकर सहभागियों पर केन्द्रित है। इसमें सहजकर्ता की भूमिका एक तरह से जानकारी देने वाले, सहयोग करने वाले एवं बैठक की विषय-वस्तु को रूचिकर विधियों से प्रस्तुत करने की है।

मॉड्यूल का संचालन करने में सहजकर्ता की मुख्य भूमिका इस प्रकार है –

- सहजकर्ता मॉड्यूल में दी गई विधियों के अनुसार बैठकों को संचालित करें। यदि सहजकर्ता को उसमें किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत महसूस हो तो वे साथियों से चर्चा कर उसमें बदलाव कर सकते हैं या कोई नई गतिविधि जोड़ सकते हैं।
- स्वयं सहायता समूह की हर बैठक को किसी एक विषय वस्तु पर केन्द्रित किया गया है। संभव है कि समूह की बैठकों में अन्य मुद्दे भी आयें। सहजकर्ता इन मुद्दों को रखने से सहभागियों को रोके नहीं। किन्तु बगैर तैयारी के किसी मुद्दे पर कोई चर्चा करना सार्थक नहीं होता। ऐसी स्थिति में सहजकर्ता सहभागियों के मुद्दों को नोट करे लें और अगली बैठक में तैयारी के साथ प्रस्तुत करने की योजना बनाएं।
- सहजकर्ता बैठक के दौरान सभी को अपनी बात रखने का समान अवसर दें। यदि कोई सहभागी चर्चा में हिस्सा नहीं ले पा रही है तो उन्हें विशेष अवसर देकर चर्चा में अपनी बात रखने हेतु प्रेरित करें।
- सहजकर्ता सहभागी बैठक की प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट जरूर लिखें, जिसमें बैठक में आने वाले सभी मुद्दों को शामिल करें।

कैसे करें इस मॉड्यूल का उपयोग? 4

यह मॉड्यूल सहजकर्ता के लिए है, जो परिवर्तन प्रेरकों की बैठकों में इसकी विषय वस्तु के अनुसार मुद्दों को प्रस्तुत करेंगे। इस मॉड्यूल में दी गई विधियों का उपयोग बैठक को बेहतर एवं रूचिकर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए सहजकर्ता के लिए प्रमुख मार्गदर्शी बिन्दु इस प्रकार है –

- सहजकर्ता बैठकों में जाने से पहले कम से कम दो–तीन दिन पहले इस मॉड्यूल को पढ़ें तथा जिस मुद्दे पर बैठक संचालित किया जाना है, उससे संबंधित सामग्री इकट्ठी कर लें। इसमें संदर्भ सामग्री एवं प्रशिक्षण सामग्री शामिल है।
- सहजकर्ता संदर्भ सामग्री को ध्यान से पढ़ लें और बैठक प्रक्रिया में दी गई विषय–वस्तु के अनुसार तैयारी कर लें।
- सहजकर्ता संदर्भ सामग्री में दी गई जानकारियों को बैठक में सरल भाषा–शैली में या संभव हो तो सहभागियों की बोली में बतायें।
- परिवर्तन प्रेरकों की सभी बैठकों में बैठक व्यवस्था गोल घेरे में होनी चाहिए, ताकि सहभागी एक–दूसरे से आसानी से बातचीत कर सकें और संवाद कर सकें।
- सहजकर्ता परिवर्तन प्रेरक बैठकों को सहभागी एवं गतिविधि आधारित बनाएं। कोशिश करें कि लम्बे भाषण, जटिल जानकारियों और उपदेश से बचें। क्योंकि इससे बैठक की प्रक्रिया उबाऊ हो सकती है।
- मॉड्यूल में दी गई प्रक्रियाओं को स्थानीय प्रतीकों एवं संदर्भों से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है।

बैठक की शुरूआत

किसी भी बैठक को प्रभावी बनाने के लिए उसकी अच्छी शुरूआत करना जरूरी होता है। अत: सहजकर्ता बैठक की शुरूआत करने के लिए इन बिन्दुओं पर ध्यान दें –

- बैठक की शुरूआत मौखिक स्वागत के साथ करें। यदि संभव हो तो शुरूआत में कोई बदलावकारी सामाजिक गीत गा सकते हैं या सहभागियों को गाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।
- यदि सहजकर्ता के साथ कोई नए साथी हैं तो उनका परिचय दें। पहली बैठक में सभी को आपस में परिचय के लिए कह सकते हैं।
- बैठक में जिस मुद्दे या विषय पर बात की जानी है, उसके बारे में बताएं। यानी मुद्दे का परिचय एवं महत्व बताएं।
- पिछली बैठक में हुई चर्चाओं तथा बैठक के बाद किए गए फील्ड वर्क को प्रस्तुत करने के लिए सहभागियों को प्रोत्साहित करें।

बैठक का समापन

बैठक का समापन बैठक में सामने आई बातों तथा लिए गए निर्णयों का निचोड़ होता है। अत: सहजकर्ता बैठक के समापन के समय इन बातों का ध्यान रखें –

- बैठक में सीखी गई बातों या प्राप्त जानकारियों को प्रस्तुत करने का अवसर सहभागियों को दें।
- बैठक में हुई चर्चाओं तथा लिए गए निर्णयों का दोहराव करें। यानी उन्हें फिर से बताएं।
- फील्ड वर्क के लिए बनी योजना को पक्का करें तथा जिन सदस्यों ने कोई जिम्मेदारी ली है उसका दोहराव करें।
- अगली बैठक की तारीख, समय एवं स्थान तय करें।

बैठक -1

संविधान की समझ

उद्देश्य

- संविधान के बारे में बताना।
- समूह, पंचायत और ग्राम सभा के संचालन में संविधान की भूमिका पर समझ बनाना।
- मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य समझाना।

रूपरेखा

विषय-वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• हमारा समूह कैसे चलता है? इसके नियम-कायदे क्या हैं? समूह में नियम-कायदे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? समूह के नियम-कायदे किसने बनाए? जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे किया गया? • देश कैसे चलता है? देश का संविधान क्या है? संविधान के अनुसार हमारा देश किस तरह का है? • मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य।	• विषय-वस्तु में दिए गए सवालों पर चर्चा। • चर्चा से सामने आए मुद्दों का विश्लेषण करना। • संविधान की जानकारी देना। (फिल्म प्रदर्शन "टापू" फिल्म। यदि फिल्म दिखाने की व्यवस्था हो तो)	• संदर्भ सामग्री – संविधान उद्देशिका और संवैधानिक मौलिक अधिकार व कर्तव्य	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

परिवर्तन प्रेरकों की बैठक व्यवस्था गोल घेरे में होगी, ताकि सभी सहभागी एक-दूसरे से आसानी से बातचीत कर सकें। बैठक में शामिल सदस्य यदि सहजकर्ता एवं अन्य किसी व्यक्ति को पहले से नहीं जानते हैं तो सामान्य तौर पर सभी को अपना-अपना परिचय देने के लिए कहें।

परिचय के बाद सहजकर्ता समूह के बारे में बातचीत शुरू करें। पूछें कि आपका समूह कब बना और उसमें कितने सदस्य हैं। इस तरह उन्हें अपने समूह के बारे में बताने का अवसर दें।

समूह की जानकारी के बाद विषय-वस्तु में दिए इन सवालों पर चर्चा करें-

- हमारा समूह कैसे चलता है?
- इसके नियम-कायदे क्या हैं?
- समूह में नियम-कायदे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
- समूह के नियम-कायदे किसने बनाए?
- क्या समूह में जिम्मेदारियों का बंटवारा किया

गया? यदि हां तो क्यों?

- समूह की सदस्यता का फैसला कौन लेता है?
- ऋण देने के बारे में फैसला कौन लेता है?

उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा से यह बात सामने आएगी कि बगैर नियम-कायदे के कोई समूह नहीं चल सकता।

इसी बात से संविधान की अवधारणा बताएं कि हमारा देश संविधान के अनुसार ही चलता है। यहां सरकार कैसी होगी? सरकार के कौन-कौन से हिस्से हैं? देश, प्रदेश से लेकर पंचायत तक सभी स्तर की सरकार किस तरह काम करेगी, यह संविधान में दिया गया है।

संविधान के बारे में बताते हुए सबसे पहले सहजकर्ता संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएं तथा प्रस्तावना में देश का शासन संचालित करने के कौन से सिद्धांत निकलकर आ रहे हैं उन्हें बताएं जैसे – स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, पंथ निरपेक्षता आदि।

भारत की शासन व्यवस्था को समझने के लिए संविधान की प्रस्तावना को समझना जरूरी है, जो इस प्रकार है –

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सबमें** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

संविधान की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि :

- भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, अर्थात यहां सरकार लोगों द्वारा वोट डालकर चुनी जाती है।
- भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय पाने का अधिकार है।
- देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति, यानी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है।
- देश के नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है।
- देश के नागरिकों को अवसरों की समानता का अधिकार है।

मतदाता

सहजकर्ता संविधान की उपरोक्त परिभाषा समझाते हुए यह भी बताएं कि "लोकतांत्रिक व्यवस्था की खास बात यह है कि यहां लोगों के मत से सरकार चुनी जाती है। यानी यहां का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह मतदाता हैं। इसके लिए हर वार्ड, गांव एवं क्षेत्र की मतदाता सूची बनाई जाती है। जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के नाम शामिल होते हैं। आपके गांव की भी एक मतदाता सूची है, जिसमें आपका भी नाम है।

मतदाता सूची में जिसका नाम है, वे उस क्षेत्र में होने वाले किसी भी पद जैसे पंच, सरपंच, विधायक, सांसद आदि के चुनाव के लिए वोट डाल सकते हैं। इसी तरह 21 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यदि कोई पद किसी जाति वर्ग या महिला के लिए आरक्षित हो तो वही व्यक्ति उस पद पर चुनाव लड़ सकता है, जिसके लिए पद आरक्षित है।

इस तरह यह बात स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनका नाम मतदाता सूची में है, उनका खास महत्व है। मतदाता सूची बनाने, उसमें नाम जोड़ने और हटाने का काम समय-समय पर किया जाता हैं। मतदाता सूची का यह काम चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। चुनाव आयोग के निर्देश पर इस काम के लिये हर गांव में कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं, जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) कहा जाता है। मतदाता सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी उपलब्ध रहती है।

सहजकर्ता मतदाता के संबंध में जानकारी देने के बाद सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दें। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा के साथ बैठक का समापन करें।

फील्ड वर्क

इस बैठक में तय करें कि सभी सहभागी बैठक से वापस जाने के बाद ग्राम पंचायत में उपलब्ध मतदाता सूची में अपना तथा अपने परिवार के लोगों का नाम देखेंगे। इस सूची में नाम होने का मतलब है कि आपको वोट डालने का अधिकार है।

बैठक -2

लोकतंत्र की समझ

उद्देश्य

- समूह में लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना।
- ग्राम सभा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना।
- सवाल पूछने के अधिकार का उपयोग करना।

रूपरेखा

विषय-वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? • लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार • सभी से बराबरी का व्यवहार और बराबर अवसर देना • क्या हम जिम्मेदार लोगों से संबंधित सवाल पूछते हैं? • ग्राम सभा में सवाल पूछने का अधिकार एवं अपनी बात कहने का अधिकार।	• फिश बाल खेल • सवाल पूछने की प्रक्रिया का मानचित्रीकरण (पिछले तीन महीने में समूह में और ग्राम सभा में पूछे गए सवालों का आकलन करना)	• सवालों का चार्ट (ए4 कागज पर, प्रत्येक सहभागी के लिए एक-एक) • नीले, लाल, पीले एवं हरे रंग की बिंदिया या इन रंगों के स्कैच पेन	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

पिछली बैठक में तय किये गये फील्ड वर्क पर चर्चा

पिछली बैठक में यह तय किया गया था कि सभी सहभागी ग्राम पंचायत में उपलब्ध मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार का नाम देखेंगे। इस बैठक की शुरूआत में पूछें कि किन सहभागियों ने अपना नाम मतदाता सूची में ढूंढा। उन्हें मिला या नहीं। इसका अनुभव बताने को कहें। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं मिला तो उसने नाम जुड़वाने के लिए क्या कार्यवाही की, यह बताने को कहें। इससे अन्य सहभागियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझ में आएगी।

अब सहजकर्ता पिछले माह संविधान तथा मौलिक अधिकार के बारे में क्या चर्चा हुई थी, इस पर बात करें तथा आज के सत्र को उससे जोड़े।

इसके बाद बताएं कि संविधान के अनुसार हमारे देश को लोकतांत्रिक देश माना गया है। अर्थात यहां जनता वोट डालकर अपनी सरकार चुनती है। जैसे हमने देश, प्रदेश की सरकार चुनी, उसी तरह ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचों को भी वोट डालकर चुना।

यह भी बताएं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार चुनने के साथ ही लोगों को सवाल पूछने तथा अपनी बात कहने का अधिकार है। चाहे ग्राम पंचायत हो या ग्राम सभा हो या हमारा समूह।

उक्त चर्चा के बाद सहजकर्ता फिश बाल खेल खिलाएं। इस खेल के लिये सभी सहभागियों को दो समूह में बाटें। एक समूह को अंदर गोल घेरे में बैठायें तथा उसे चर्चा के लिये कोई ऐसा विषय दें जिस पर समूह में अच्छी बहस हो सके। दूसरे समूह को अलग ले जाकर यह यह बतायें कि अंदर वाला समूह जो चर्चा करेगा, आपके समूह को नीचे दिये गए बिन्दुओं पर उसका अवलोकन करना है। अवलोकन बिन्दु इस प्रकार है –

- चर्चा में सभी की सहभागिता
- सभी को अपनी बात कहने का अवसर
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की सहभागिता
- सभी के विचारों को सुनना
- असहमति को व्यक्त करने का तरीका
- चर्चा को फेसिलिटेट करना और सभी को मौका

एक समूह द्वारा चर्चा पूरी करने के बाद दूसरे समूह को चर्चा का अवसर दें तथा पहले समूह को अवलोकनकर्ता की भूमिका में रखें।

दोनों समूह की चर्चा पूरी होने के बाद सभी को एक साथ बैठाएं तथा उपरोक्त बिन्दुओं पर बारी–बारी से अपने विचार रखने का अवसर दें।

उक्त प्रक्रिया से सवाल पूछने और दूसरों को विचारों को सुनने की आवश्यकता का महत्व पता चलेगा। इसी से जोड़ते हुए नीचे दिये गये अभ्यास को करायें।

अब सहजकर्ता यह पूछें कि सवाल न पूछने से क्या नुकसान होता है? क्या सवाल पूछने से कोई नुकसान हो सकता है? आमतौर पर सदस्य कहेंगे कि सवाल पूछने पर समूह की अध्यक्ष, पंचायत के सरपंच, सचिव तथा कर्मचारी नाराज हो सकते हैं? अत: सामूहिक रूप से सवाल पूछने का सुझाव दिया जा सकता है? कई बार दलित वंचित समुदाय के द्वारा सवाल पूछने पर उनके प्रति ज्यादा नाराजगी हो जाती है। इस बारे में स्पष्ट करना जरूरी है कि सवाल कोई भी ग्रामवासी पूछ सकते हैं, चाहे वे किसी जाति, धर्म के हो। यह बताना भी जरूरी है कि यदि हम नाराज होने के डर से सवाल नहीं पूछेंगे तो पूरे समूह, गांव व पंचायत का नुकसान होता रहेगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोग बार–बार सवाल पूछते हैं तो यह एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है तथा जिम्मेदार पदाधिकारी भी नाराज होने के बजाय उनका उत्तर देना पसंद करते हैं।

सवाल पूछने की मेपिंग

उपरोक्त चर्चा के बाद सवाल पूछने की मेपिंग करें। इसके लिए सवालों का एक चार्ट दीवार पर लगाए, जिसमें तीन कॉलम हो, एक कॉलम में सवाल पूछने के बारे में संकेतक, दूसरे में समूह में सवाल पूछने की स्थिति और तीसरे कॉलम में ग्राम सभा में सवाल पूछने की स्थिति दर्शाई गई है। इस चार्ट में चार चित्र हैं।

चित्र एक - कितने सवाल मन में आए : इसमें पूछा जाएगा कि पिछले करीब तीन महीने में उनके मन में समूह के बारे में कितने सवाल आए। इसी तरह ग्राम सभा के बारे में कितने सवाल आए? वे उन सवालों की गिनती लगाएं, जो मन में आए (चाहे पूछे हों या नहीं) तथा संबंधी कॉलम में नीले रंग से उतनी बिंदी लगाएं।

चित्र दो - कितने सवालों पर चुप रहे : इस चित्र में यह पूछा जाए कि जो सवाल मन में आए, उनमें से कितने सवालों पर वे बिल्कुल चुप रहे। यानी पूछने के बारे में सोचा भी नही। समूह के बारे ऐसे जितने सवाल हो उनकी लाल रंग की बिंदी समूह

वाले कॉलम में तथा ग्राम सभा के बारे में जितने ऐसे सवाल हो उतनी लाल रंग की बिन्दी ग्राम सभा वाले कॉलम में लगाएं।

चित्र तीन : कोशिश की, लेकिन पूछ नहीं पाए : समूह में ग्राम सभा में जितने सवालों को पूछने की कोशिश की, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, किसी अन्य कारणों से पूछ नहीं पाए। उतनी पीले रंग की बिंदी संबंधित कॉलम में चिपकाएं।

चित्र चार : कितने सवाल पूछ पाए : समूह में एवं ग्राम सभा में जितने सवाल पूछ पाए, उतनी हरे रंग की बिंदियां संबंधित कॉलम में चिपकाने को कहें।

देखें कि कितनी बिंदिया नीले रंगे की हैं, कितनी लाल, कितनी पीली एवं कितनी हरे रंग की है। यह संभव है कि इस बैठक में ग्राम सभा वाले कॉलम में हरे रंग की बिंदिया हो ही नहीं। लेकिन अब यह बात करें कि हम अगले एक या दो माह बाद जब यह अभ्यास फिर से करेंगे तो क्या हरे रंग की बिंदियों की संख्या बढ़ेगी?

इस दौरान यह चर्चा भी करें कि जो सवाल नहीं पूछ पाए, उसके क्या कारण थे? उन कारणों पर चर्चा करें।

सवालों के बारे में	समूह में	ग्राम सभा में
कितने सवाल आपके मन में आए?		
कितने सवालों पर आप चुप रहे?		
कितने सवालों पर आपने कोशिश की, लेकिन पूछ नहीं पाए?		
कितने सवाल आपने पूछे?		

बैठक -3

ग्राम पंचायत की भूमिका और जिम्मेदारियों की समझ

उद्देश्य

- पंच–सरपंचों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को समझना।
- ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक के दायित्वों को समझना।
- पंचायत प्रतिनिधियों और सचिव से संवाद कायम करना।

रूपरेखा

विषय-वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की भूमिका • सरपंच, पंच एवं सचिव की भूमिका • समितियों की भूमिका • उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा दायित्वों का पालन करना • पंचायत से संवाद	• भूमिकाओं के बारे में जानकारी देना • अनुभव साझा करना • सिमुलेशन/संवाद का अभ्यास	• संदर्भ सामग्री– पंचायत प्रतिनिधियों व सचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

इस बैठक में सहजकर्ता सबसे पहले सहभागियों से यह पूछें कि ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच एवं सचिव व रोजगार सहायक के कार्यों के बारे में वे क्या जानती हैं। इस दौरान अलग–अलग तरह के जवाब आ सकते हैं। संभवत: कुछ सहभागी यह भी कह सकती हैं कि सरपंच ही पंचायत में सभी निर्णय ले सकते हैं, जबकि कुछ सहभागी सचिव को खास भूमिका में देखती हो। इस चर्चा के बाद संदर्भ सामग्री की मदद से सरपंच, पंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के कार्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाए।

अब चर्चा की जाए कि उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा क्या अपने दायित्वों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो उसके पीछे क्या कारण हैं तथा उसे कैसे हल करेंगे? इन सवालों पर सभी को अपने–अपने विचार व सुझाव रखने का मौका दें।

इस जानकारी के बाद यह चर्चा की जाए कि क्या वे अपने वार्ड की समस्याओं पर वार्ड पंच से बात कर सकती हैं? इसी तरह क्या वे पूरी पंचायत की समस्याओं पर सरपंच से बात कर सकती हैं? बात कैसे करेंगे? इस बारे में सभी के सुझाव प्राप्त करें।

सरपंच, सचिव एवं पंच से संवाद हेतु रोल प्ले करवाना

पूरे समूह में कुछ सहभागी सरपंच, सचिव एवं पंच की भूमिका निभाएंगे तथा बाकी सहभागी उन्हें

अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे।

अथवा

यह तय कर सकते हैं कि अगले दिन या एक-दो दिन बाद जब भी संभव हो सरपंच, सचिव व पंच को आमंत्रित कर एक बैठक करें। इस बैठक में सभी अपनी-अपनी बात उनके सामने रखें। यदि सरपंच, सचिव व पंच बैठक में आने की सहमति न दें तो सहभागी स्वयं एक साथ पंचायत भवन जाकर उनसे बात कर सकती हैं।

इससे पहले सहजकर्ता यह तैयारी करवाएं कि वे सरपंच, पंच व सचिव से -

- किन समस्याओं पर बात करेंगी? (समस्याएं पहले से चिन्हित कर लें)।
- बातचीत का क्रम क्या होगा? कौन बात की शुरूआत करेंगी।
- सहभागी आपस में एक-दूसरे की मदद कैसे करेंगी।
- सरपंच और पंच द्वारा दिए गए उत्तरों को या उस चर्चा में सामने आई बातों (मिनिट्स) को लिखें। (इस पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी)।
- अंत में सरपंच, पंच एवं सचिव को धन्यवाद देकर चर्चा समाप्त करेंगी।

फील्ड वर्क

बैठक के अंत में यह तय करें कि सभी सहभागी अपने-अपने वार्ड पंच से मिलकर उन्हें अपने वार्ड की समस्या बताएं। वार्ड पंच से मिलने के लिए आप अपने वार्ड की उन महिलाओं को भी शामिल कर सकती हैं, जो समूह में नहीं हैं। वार्ड पंच से यह भी पूछें कि वे पिछली बार ग्राम पंचायत की बैठक में कब गए थे तथा वहां क्या निर्णय हुआ?

साथ ही अपने-अपने समूह की बैठक करने का भी कार्य तय करें। सहभागियों से कहें कि आपकी बैठक कितने लोकतांत्रिक तरीके से हुई इसके बारे में अगली बैठक में प्रस्तुतिकरण करना होगा।

बैठक -4

ग्राम सभा की ताकत

उद्देश्य

- संगठन या सामूहिक ताकत का एहसास कराना।
- खेल के सार को ग्राम सभा के संदर्भ से जोड़ते हुए ग्राम सभा की शक्ति पर समझ बनाना।

रूपरेखा

विषय-वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• ग्राम सभा की शक्तियां • ग्राम सभा आयोजन के नियम-कायदे	• बाघ-बकरी खेल • खेल से निकले मुद्दों का विश्लेषण • जानकारी देना	• संदर्भ सामग्री – ग्राम सभा की शक्तियां • बाघ-बकरी खेल का चार्ट	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

पिछली बैठक के बाद फील्ड वर्क की रिपोर्ट

पिछली बैठक में फील्ड वर्क के लिए दो कार्य तय किए गए थे। एक समूह की बैठक लोकतांत्रिक तरीके से करना और दूसरा वार्ड पंच से मिलकर अपने वार्ड की समस्याएं बताना।

इस बैठक की शुरूआत में सबसे पहले समूह की बैठक के बारे में सहभागियों को बताने के लिए कहें। बैठक में कितनी उपस्थिति थी, संचालन किसने किया, कितनी सदस्यों ने अपनी बात रखी, निर्णय कैसे लिया गया, ऋण देने संबंधी निर्णय किसने लिया? आदि।

अब एक खेल खेला जाएगा, जिसका नाम "बाघ-बकरी" है। खेल इस प्रकार है:-

1. पूरे समूह को छोटे-छोटे समूहों में बांटा जाएगा। हर समूह में 4 सहभागी होंगे। इसमें से दो सहभागी खेल खेलेंगे तथा बाकी दो सहभागी दर्शक के रूप में रहेंगे और अवलोकन करेंगे।
2. जब दो सहभागी खेल पूरा कर लेंगे तो उस समूह के दूसरे दो सहभागी यह खेल खेलेंगे। इस तरह यदि समय हो तो सभी सहभागी इसे खेल सकते हैं।
3. खेल के बाद उस पर सभी सहभागियों से चर्चा करें।

कैसे खेला जाएगा बाघ-बकरी खेल?

1. सहभागियों को खेल के बारे में बताते हुए पूछें कि कौन बाघ बनना चाहेगा और कौन बकरी?
2. इस तरह दो खिलाड़ी होंगे- एक बाघ और दूसरा बकरी।
3. चार्ट पर दो बड़े पत्थर रखे जाएंगे, जो बाघ होंगे और 32 छोटे कंकड या चने के दाने रखे जाऐं जो बकरी होंगे। दिए गए चित्र के अनुसार बाघ और बकरी को चार्ट पर रखें।
4. बाघ-बकरी जो लाईन बनी है उस पर चलेंगे।
5. बाघ चाहे तो बकरी के ऊपर से कूद कर अगले

पड़ाव, जहां लाईनें क्रास करती हैं, पर जाकर बैठ जाएगा। और जिस बकरी को उसने कूद कर पार किया है वह बकरी उठा लें यानी बाघ ने वह बकरी खा ली है।

6. एक चक्कर पूरा कर लेने पर उसकी चाल खत्म हो जाएगी।
7. बकरी बाघ से बचाव के लिए प्रयास करेंगी। उसे बाघ पर झपटने या कूदने की इजाजत नहीं है। किन्तु वह चाहे तो बाघ को चारों तरफ से घेर कर फंसा सकती है। यदि बकरी के आगे वाली क्रासिंग पर भी बकरी मौजूद है तो बाघ उस बकरी को लांघ नहीं सकता है। यानी बाघ का वह रास्ता बंद हो जाएगा।
8. खेल तब तक चलेगा, जब तक कि बाघ के या तो सारे रास्ते बंद न हो जाए या बाघ सभी बकरियों को न खा ले।
9. इस तरह खेल की एक पारी खत्म होने के बाद समूह के अन्य सहभागी यह खेल खेलेंगे अथवा सहभागी भूमिका बदलकर खेल सकते हैं।

खेल के आधार पर चर्चा

सहभागियों द्वारा खेले गए बाघ बकरी खेल के आधार पर चर्चा करते हुए समाज की व्यवस्था का विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर बातचीत की जाएगी–

1. यह माना जाता है कि बाघ सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इस खेल को शुरू करने से पहले भी क्या बाघ ही ताकतवर दिखाई दे रहा था?
2. बाघ बकरियों को क्यों खा पाता है?
3. बकरियां बाघ को किस तरह घेर पाई?
4. समाज में ऐसा खेल कहां–कहां चलता है? कैसे चलता है?

इस खेल में जो बातें दिखायी देती हैं वे इस प्रकार हैं –

- पहले बकरियां छोटे–छोटे झुंड में थी इसलिये शेर उनमें से एक–एक को खा रहा था। बाद में बकरियां एक नेटवर्क के रूप में संगठित हो गई, जिससे वे शेर को रोक पायीं।
- खेल की ड्राइंग का हर क्रासिंग बिन्दु एक जिम्मेदारी है। जब हर क्रासिंग बिन्दु पर बकरी मौजूद रहती है तो उनका नेटवर्क मजबूत होता है। यानी हर क्रासिंग बिन्दु एक समिति की तरह है। इस आधार पर हम समिति की अवधारणा को भी स्पष्ट कर सकते हैं।

ग्राम सभा में निम्न स्थितियां एकजुटता की प्रतीक हैं–

- उपस्थिति
- समितियों की भूमिका
- नियम–कानून की जानकारी और समझ
- ग्राम सभा कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर करना

इससे यह संदेश सामने आता है कि यदि लोगों की ताकत बिखरी रहती है तो वे ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत से अपने काम नहीं करवा सकते। इसलिए यदि अपने काम करवाना हो और स्थानीय स्वशासन में भागीदारी करनी हो तो हम सभी को आपस में अपना नेटवर्क बनाकर या एकजुटता दिखाकर ही भागीदारी करनी होगी। इससे हम अपने मुद्दों को मिलजुल कर हल करवा सकते हैं और एक–दूसरे की मदद कर सकते हैं।

इस खेल पर सबसे पहले समूह के संदर्भ में चर्चा करें और उसके बाद ग्राम सभा के संदर्भ में चर्चा करें।

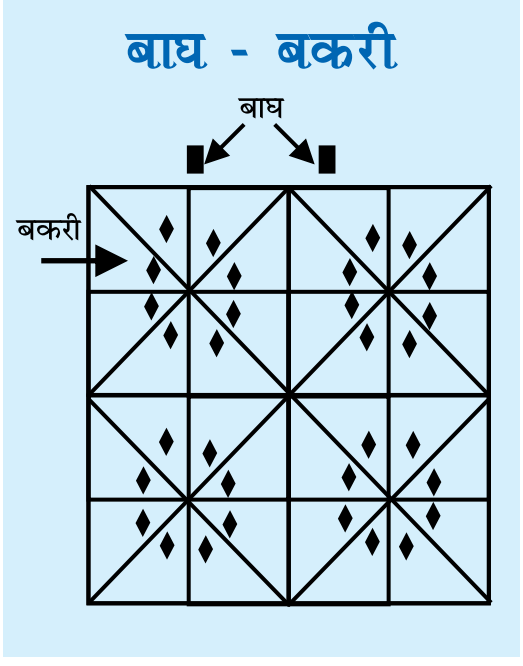

बैठक -5

ग्राम सभा में भागीदारी एवं फैसला लेना

उद्देश्य

- ग्राम सभा सदस्य के अधिकार एवं दायित्व की जानकारी देना।
- ग्राम सभा के लिए मुद्दों की पहचान करना।
- ग्राम सभा में मुद्दे रखने एवं फैसलों में भागीदारी का कौशल विकसित करना।

रूपरेखा

विषय-वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• ग्राम सभा सदस्य के अधिकार और दायित्व • ग्राम सभा बैठक में भागीदारी की कार्ययोजना • मुद्दों की पहचान एवं एजेण्डा • फैसलों में भागीदारी	• जानकारी देना • समूहों में अभ्यास	संदर्भ सामग्री – • ग्राम सभा सदस्य के अधिकार • कार्डशीट व स्कैच पेन	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

पिछली बैठक का संदर्भ देते हुए सहजकर्ता इस बैठक की शुरूआत करें। यह बताएं कि पिछली बैठक में हमने ग्राम सभा बैठक के नियम-कायदे जाने थे तथा ग्राम सभा की ताकत को समझने का प्रयास किया था और हमें यह समझ में आ गया है कि हम अपनी समस्याओं को मिलकर ग्राम सभा में रख सकते हैं।

सहजकर्ता संदर्भ सामग्री की मदद से ग्राम सभा सदस्यों के अधिकारों की जानकारी दें।

अब सहजकर्ता यह पूछें कि आगामी ग्राम सभा में वे क्या मुद्दे या समस्याएं रखना चाहेंगी। सहभागियों द्वारा बताए गए मुद्दों को एक कार्डशीट पर लिखकर सूची बनाएं। जब सभी सहभागियों द्वारा अपने-अपने मुद्दे बता दिए जाएं तो यह देखें कि कौन से मुद्दे हल करना जरूरी एवं आसान है। यह बताएं कि एक बार में एक ही मुद्दा ले सकते हैं। सहभागियों की मदद के लिए एक मुद्दा चुनें।

अब सहभागियों को तीन या चार समूह में बांटकर कहें कि आप अपने समूह में इस बात की तैयारी करें कि इस मुद्दे को किस तरह ग्राम सभा में रखेंगी। अपने मुद्दे के पक्ष में क्या तर्क, आंकड़े व जानकारी प्रस्तुत करेंगी।

समूह में अभ्यास के लिये अधिकतम आधा घंटे का समय दे सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह को उस मुद्दे को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें। उनसे कहें कि वे उसी तरह इस मुद्दे को रखें, जिस तरह ग्राम सभा में रखना चाहती हैं।

सभी के प्रस्तुतिकरण के बाद मुददे को रखने के लिए क्या सीख निकलकर आई? इस पर चर्चा करें।

इस अभ्यास के बाद आगामी ग्राम सभा में इस मुद्दे को रखने की कार्य योजना बनाएं। कार्य योजना में इन बिंदुओं को शामिल करें –

- ग्राम सभा में अधिक से अधिक लोग, खासकर महिलाओं को शामिल करना और उन्हें पहले से अपने मुद्दे के बारे में बताना।
- मुद्दे को ग्राम सभा के एजेण्डा में शामिल करवाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच को लिखित में देना।
- मुद्दे को कौन प्रस्तुत करेंगे और उसके पक्ष में कौन-कौन क्या बोलेंगे, इसकी योजना बनाना।
- फैसला लेने की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्राम सभा की कार्यवाही को रजिस्टर में लिखा जाना सुनिश्चित करना तथा ग्राम पंचायत सचिव को पढ़कर सुनाने के लिये कहना।
- बैठक की कार्यवाही (ठहराव-प्रस्ताव) की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन देना।
- लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए फॉलोअप करना।

बैठक -6

ग्राम सभा में भागीदारी का फीडबैक

उद्देश्य

- ग्राम सभा में भागीदारी के परिणामों एवं अनुभवों को जानना।
- सीख के आधार पर आगे भागीदारी की निरन्तरता बनाए रखने की योजना बनाना।

रूपरेखा

विषय-वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• हमारे प्रयासों से ग्राम सभा पर क्या प्रभाव पड़ा? (उपस्थिति, चर्चा का स्तर, फैसले आदि के बारे में) • अपने मुद्दे रखने के संदर्भ में– ▪ हमारी ताकत क्या थी? ▪ क्या चुनौतियां आई? ▪ क्या कमजोरियां रही? ▪ क्या उपलब्धि रही? ▪ और क्या करना होगा? • इस प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखने के लिए मुद्दों की पहचान एवं योजना बनाना।	• अनुभवों की साझेदारी • विश्लेषण	• चार्टपेपर या कार्डशीट • स्कैच पेन या बोल्ड मार्कर पेन।	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

इस बैठक की शुरूआत ग्राम सभा में भागीदारी के फीडबैक से की जाएगी। क्या ग्राम सभा में सहभागी सफल भागीदारी कर पाए? ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थिति हो पाई? क्या वे अपने मुद्दे को रख पाए और उस पर फैसला ले पाए? इन प्रश्नों के साथ सहजकर्जा पूरे समूह को भागीदारी के लिये बधाई दें एवं ग्राम सभा में इस भागीदारी और सफलता का महत्व बताएं।

यदि सफलता नहीं मिल पाई तो उससे निराश नहीं हों? बल्कि समस्याओं को पहचानें तथा इस पर विचार करें कि क्या यह हमारी किन्हीं कमजोरियों की वजह से हुआ। उससे सीख बनाते हुए कमजोरियों को दूर कर अगली ग्राम सभा में

भागीदारी का संकल्प लें।

इसके बाद सहजकर्ता ग्राम सभा में भागीदारी करने वाले प्रत्येक सदस्य को आमंत्रित कर ग्रामसभा में अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें। अनुभवों में जो बातें आए, उन्हें लिखें तथा अंत में उन बातों का विश्लेषण करें।

विश्लेषण निम्नलिखित चार बिन्दुओं पर केन्द्रित करें–

1. इस ग्राम सभा में हमारी क्या ताकत रही?
2. इस ग्राम सभा में हमारे सामने क्या चुनौतियां आई?
3. क्या हमारी कोई कमजोरियां रहीं? यदि हां तो कौन सी कमजोरियां थीं और उसका क्या प्रभाव पड़ा?
4. इस ग्राम सभा की क्या उपब्धियां रही तथा इससे क्या सीख मिली?

उपरोक्त चर्चा के बाद आगामी मुद्दों का चयन कर आगामी ग्राम सभा में रखने की कार्य योजना बनाएं।

क्या सामूहिक नेतृत्व देखा गया? समूह के बाहर की महिलाओं को किस तरह से जोड़ा जाये।

क्या समूह के सदस्यों ने संबंधों एवं क्षमताओं का पूरा उपयोग किया?

बैठक -7

शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) से संवाद

उद्देश्य

- शाला प्रबंधन समिति के कार्य एवं अधिकारों को जानना।
- स्कूल की समस्याएं पहचानना एवं समाधान के उपाय तलाशना।
- स्कूल के संदर्भ में निगरानी कौशल विकसित करना।

विषय वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• शाला प्रबंधन समिति (एसएससी) के कार्य एवं अधिकार • गांव में स्कूल की स्थिति का आकलन – समस्याओं की पहचान • स्कूल की समस्याओं के समाधान के उपाय और कार्य योजना • स्कूल की निगरानी का कौशल • शिक्षा का अधिकार कानून	• जानकारी देना • समस्याएं एवं सुझाव प्रस्तुतिकरण (ब्रेन स्ट्रामिंग) • सिमुलेशन	• संदर्भ सामग्री – शाला प्रबंधन समिति के दायित्व एवं अधिकार • शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची • चार्टपेपर या कार्डशीट • स्कैच पेन या बोल्ड मार्कर पेन	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

बैठक की शुरूआत करते हुए सहजकर्ता सबसे पहले मुद्दे का परिचय दें। इस दौरान यह पूछें कि–

- आप में से किस-किस के यहां 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं और क्या वे स्कूल जाते हैं?
- क्या आपने कभी स्कूल जाकर वहां की व्यवस्था देखी?
- क्या आपको मालूम है कि आपके स्कूल की शाला प्रबंधन समिति में कौन-कौन हैं?
- कभी शाला प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लिया या सदस्यों से चर्चा की?
- क्या वे अपने बच्चों की शिक्षा से संतुष्ट हैं?
- यदि संतुष्ट नहीं हैं तो इसके क्या कारण हैं?

बच्चों की शिक्षा से संतुष्ट नहीं है तो कारणों को एक चार्ट पर लिखें। इस तरह स्कूल की समस्याओं की एक सूची सामने आएगी।

अब यह जानकारी दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में स्कूल के प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी के लिये शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन किया गया है।

सदस्यों से यह पूछें कि क्या वे अपने गांव के स्कूल की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जानते हैं? अब सहजकर्ता संदर्भ सामग्री की मदद से शाला प्रबंधन समिति के दायित्व एवं अधिकार की जानकारी दें।

स्कूल की जो समस्याएं सामने आई हैं, उनमें से कौन सी समस्याएं शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से हल की जा सकती है। इन समस्याओं को लेकर शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष एवं सचिव (प्रधानाध्यापक) से मिलने की योजना बनाएं। यह तय करें कि एसएमसी अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव से कब मिलेंगे? कौन-कौन साथ होंगे? किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

इस पर भी चर्चा करें कि-

- क्या आपके गांव की शाला प्रबंधन समिति की हर माह नियमित बैठक होती है?
- क्या शाला प्रबंधन समिति के सदस्य स्कूल का दौरा करते हैं?
- क्या शाला प्रबंधन समिति के सदस्य सरपंच के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं? तथा
- क्या शाला प्रबंधन समिति की बैठकों एवं निर्णयों की रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाती है?

यदि ऐसा नहीं होता है तो शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों से चर्चा करने की योजना बनायें।

निगरानी कौशल

सहजकर्ता यह बताएं कि शाला प्रबंधन समिति के अलावा ग्राम सभा सदस्य भी स्कूल का दौरा कर वहां की स्थिति देख सकते हैं। अत: यह तय करें कि इस माह एक समूह स्कूल का दौरा कर वहां की स्थितियों का जायजा लेगा।

निगरानी में क्या-क्या चीजें देखी जाएगी, इसकी सूची बनाएं। (उदाहरण के लिए बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन, सफाई व स्वच्छता की स्थिति, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की उपलब्धता एवं उसमें पानी व साफ सफाई की स्थिति, स्कूल की पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, पढ़ाई की स्थिति आदि को देखा जा सकता है।

एक स्कूल का दौरा कर निगरानी करवाएं अथवा अभ्यास के लिए रोल प्ले कराया जा सकता है। जिसमें उपस्थित सदस्य स्कूल में क्या-क्या देखेंगी और उस पर क्या चर्चा करेंगी, इसका अभ्यास करके बताएंगी।

बैठक -8

पानी और स्वच्छता

उद्देश्य

- पानी की समस्या के संदर्भ में ग्राम पचांयत के उत्तरदायित्व को समझना।
- पानी की समस्या प्रस्तुत करने का कौशल विकसित करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्य एवं अधिकारों को जानना।

विषय-वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• गांव में पानी की समस्या का आकलन • समस्या का प्रस्तुतीकरण • ग्राम पंचायत का दायित्व। • गांव की स्वच्छता की स्थिति का आकलन • ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्य और जिम्मेदारियां • स्वच्छता की निगरानी	• समूह में अभ्यास • रोल प्ले	• संदर्भ सामग्री– ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्य व अधिकार • समिति के सदस्यों की सूची • चार्टपेपर या कार्डशीट • स्कैच पेन या बोल्ड मार्कर पेन	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

पिछली बैठक के बाद फील्ड वर्क की रिपोर्ट

पिछली बैठक में शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी पर चर्चा की गई थी। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों से मुलाकत करने तथा स्कूल की निगरानी करने की जिम्मेदारी विभिन्न सदस्यों ने ली थी। इस बैठक में सदस्यों से उस काम के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा। सदस्य बारी–बारी से अपने द्वारा किए गए कार्य तथा अनुभव प्रस्तुत करेंगी। अनुभवों का विश्लेषण कर सीख निकाली जाएगी।

इस बैठक में गांव में पानी और स्वच्छता पर चर्चा की जाएगी। विषय का परिचय देते हुए सहजकर्ता बताएं कि पानी और स्वच्छता का आपस में घनिष्ठ जुड़ाव है। इसमें सबसे पहले पानी की समस्या और स्वच्छता का आकलन किया जाएगा। इसके लिए सहभागियों के दो समूह बनाए जाएंगे। एक समूह ग्राम में पानी की समस्या पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित सवालों के उत्तर तलाशेगा–

- गांव के किन मोहल्लों में पानी की समस्या सबसे ज्यादा है?
- यहां पानी की समस्या से सबसे ज्यादा

तकलीफ किसे उठानी पड़ती है और क्या तकलीफ उठानी पड़ती है?

- पानी की समस्या हल करने में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है?
- ग्राम पंचायत में इस मुद्दे को कौन रखेंगी और किस तरह रखेंगी?

दूसरे समूह को गांव की स्वच्छता पर चर्चा करने की जिम्मेदारी सौपी जाएगी। यह समूह निम्नलिखित सवालों पर चर्चा करेगा–

- गांव में स्वच्छता की क्या स्थिति है? गली मोहल्लों की साफ-सफाई, कीचड़ की स्थिति आदि।
- कितने घरों में शौचालय नहीं है?
- जिन घरों में शौचालय नहीं है, उन्हें शौचालयों का लाभ कैसे दिलवाएंगे।
- ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य कौन हैं तथा उन्हें कैसे उत्तरदायी बनाया जाए?

उपरोक्त सवालों पर चर्चा करने के बाद दोनों समूह अपना-अपना प्रस्तुतीकरण करेंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तय किया जाएगा कि–

- एक दल पानी की समस्या के लिए ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच से मिलेगा और पानी की समस्या हल करने के लिए हैण्डपंप निर्माण की मांग करेगा।
- दूसरा समूह ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति के सदस्यों के साथ मिलकर गांव की स्वच्छता का आकलन करेगा। जहां कीचड़, गंदगी तथा खुले में शौच की स्थिति दिखाई देगी उसके बारे में सरपंच-सचिव से चर्चा करेगा। यदि उस माह में ग्राम सभा हो रही हो तो यह मुद्दा ग्राम सभा में उठाएगा।

नोट : सहजकर्ता दिये गए प्रश्नों तक ही सीमित न रहें बल्कि परिस्थितियों के अनुसार प्रश्न पूछें।

बैठक -9

राशन दुकान की निगरानी

उद्देश्य

- राशन दुकान की निगरानी का कौशल विकसित करना।
- राशन दुकान की निगरानी समिति की जानकारी देना।
- खाद्य सुरक्षा कानून की जानकारी देना।

विषय वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• राशन दुकान के नियम-कायदे • निगरानी समिति • राशन दुकान की निगरानी	• जानकारी देना • समस्याएं एवं सुझाव प्रस्तुतिकरण (ब्रेन स्टार्मिंग) • सिमुलेशन	• संदर्भ सामग्री- राशन दुकान से संबंधित सामग्री। • निगरानी समिति के सदस्यों की सूची • चार्टपेपर या कार्डशीट • स्कैच पेन या बोल्ड मार्कर पेन	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

पिछली बैठक के बाद फील्ड वर्क की रिपोर्ट

पिछली बैठक में पानी और स्वच्छता के मुद्दे पर चर्चा हुई थी तथा उसके लिए फील्ड वर्क तय किया गया था। इस बैठक में सहभागियों के दो समूह बनाए गए थे। एक समूह को ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव के समक्ष अपने गांव में पेयजल समस्या हल करने हेतु चर्चा करनी थी तथा दूसरे समूह को गांव की स्वच्छता का आकलन कर योजना बनानी थी। इस बैठक में संबंधित समूहों को यह बताने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि उन्हें फील्ड के काम के क्या अनुभव हुए। दोनों समूहों के प्रस्तुतिकरण से जो सीख निकलेंगी उन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले प्रशिक्षणों में शामिल किया जाएगा।

इस बैठक में सहजकर्ता राशन दुकान की स्थिति के बारे में बारी-बारी से चर्चा करें। यह पूछें कि सहभागी इन सेवाओं का कितना उपयोग कर पाती हैं। चर्चा से आए, इन सेवाओं से संबंधित मुद्दों और समस्याओं की सूची बनाएं और विश्लेषण करें कि इन समस्याओं के पीछे क्या कारण हैं।

अब सहजकर्ता राशन दुकान की निगरानी समिति के बारे में जानकारी दें तथा सदस्यों से पूछें कि उन्हें राशन दुकान से संबंधित समिति की क्या जानकारी है? क्या वे इस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जानते हैं या नहीं? सहजकर्ता पहले से उनकी सूची तैयार रखें

और बैठक में उनके नाम पढ़कर सुनाएं।

सहभागी तय करेंगी कि वे इन समिति के सदस्यों से मिलकर उनसे इन सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगी तथा उन्हें निगरानी करने वाली अपनी टीम में शामिल करेंगी।

निगरानी कौशल

सहजकर्ता यह बताएं कि सहभागी राशन दुकान का दौरा कर वहां की स्थिति देख सकते हैं। निगरानी में क्या-क्या चीजें देखी जाएगी, इसकी सूची बनाएं। अंत में निगरानी का अभ्यास कर बैठक समाप्त करें। इसके लिए एक रोल प्ले किया जा सकता है, जिसमें उपस्थित सदस्य राशन दुकान, स्वच्छता में क्या-क्या चीजें देखेंगी और उस पर क्या चर्चा करेंगी, इसका अभ्यास करके बताएंगी। इस निगरानी में राशन दुकान की निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य भी साथ होंगे।

बैठक -10

ग्राम विकास योजना

उद्देश्य

- ग्राम विकास योजना बनाने की प्रक्रिया समझाना।
- ग्राम विकास योजना बनाना और ग्राम पंचायत के द्वारा उसे लागू करवाना।

विषय वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• गांव की जरूरतें क्या है? • लोगों की भागीदारी से नजरी नक्शा बनाना और जरूरतों को चिन्हित करना • जरूरतों का प्राथमिकीकरण करना (यानी कितने संसाधन हैं और कौन-कौन से काम करना जरूरी है?) • पंचायत को मिलने वाले संसाधनों की जानकारी	• जानकारी देना • नजरी नक्शा बनाने का अभ्यास	• चार्ट पेपर या कार्डशीट • स्कैच पेन या बोल्ड मार्कर पेन • नजरी नक्शा बनाने के लिए राख या चूना	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

पिछली बैठक के बाद फील्ड वर्क की रिपोर्ट

पिछली बैठक में राशन दुकान निगरानी समिति से संवाद कायम कर समिति सदस्यों के साथ राशन दुकान की निगरानी का फील्ड वर्क तय किया गया है। अत: इस पर चर्चा करें कि निगरानी समितियों के सदस्य निगरानी की प्रक्रिया में भूमिका निभा पाए या नहीं? राशन दुकान की निगरानी में सहभागियों की भूमिका पर भी चर्चा करें कि कितनी सहभागी, निगरानी दल में शामिल थीं? निगरानी के दौरान क्या स्थिति देखने को मिली तथा निगरानी के बाद राशन दुकान की स्थिति में क्या बदलाव आया या आने की संभावना है?

- पिछली बैठक की रिपोर्टिंग के बाद सहजकर्ता बताएं कि इस बैठक में हम ग्राम विकास योजना बनाने का तरीका समझेंगे और बैठक के बाद ग्रामवासियों की भागीदारी से यह योजना बनाएंगे।
- अब सहभागियों से पूछें कि गांव की खास जरूरतें क्या-क्या हैं? सहभागियों द्वारा बताई गई जरूरतों को एक कागज पर लिख लें।
- अब यह बताएं कि ये जरूरतें हमने अपने-अपने नजरिये और अनुभव से

बताई हैं। किन्तु वास्तव में कौन सी जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है, ये कैसे पता लगाएं? आइये इसके लिए हम पूरे गांव का एक नक्शा बनाते हैं।

अब सभी सहभागियों की मदद से बैठक स्थल पर गांव का एक नक्शा बनाएं जिसे सहभागी ग्रामीण आकलन या पी.आर.ए. कहते हैं। यह नक्शा चूना एवं राख से बनाया जा सकता है। इस नक्शे में हर मोहल्ले और फलिये को चिन्हित करें। वहां क्या संसाधन उपलब्ध हैं, कितने परिवार निवास करते हैं, कौन-कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं मौजूद हैं दर्शाएं।

इस तरह जो नक्शा तैयार होगा, उस पर चर्चा करें कि कहां क्या संसाधन है और कहां कौन से संसाधन नहीं है? इस तरह गांव की जरूरतें सामने आएगी। उन्हें लिख लें।

अब चर्चा करें कि उन जरूरतों के लिए पंचायत में कितने वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं? किन योजनाओं के तहत ये काम करवाए जा सकते हैं? कौन से काम ऐसे हैं जो फिलहाल मुश्किल हैं? क्या कोई काम ऐसे हैं जिन्हें ग्रामवासी खुद अपने श्रम व योगदान से कर सकते हैं? इस तरह एक साल में किए जाने वाले कामों की सूची बनाएं। इस तरह समूह में एक ग्राम विकास योजना बनेगी।

समूह में बनाई गई यह ग्राम विकास योजना एक अभ्यास है। सहभागियों को बताएं कि अब हम गांव में इस प्रक्रिया को करें। इसमें सभी फलियों के महिला-पुरूषों से चर्चा करें उन्हें एक स्थान पर बुलाकर उनकी भागीदारी से जमीन पर एक नक्शा बनाएंगे। इस नक्शे से गांव की जरूरतें सामने आएंगी। इन जरूरतों की सूची बनाकर यह तय करेंगे कि कौन सी जरूरतें इस बार पूरी की जा सकती हैं? उनके लिए संसाधन कहां से एवं किन योजनाओं से आएंगे? इस तरह जो योजना बनेगी उसे हम ग्राम विकास योजना कहेंगे।

योजना बनाने के बाद ग्राम पंचायत के सरंपच एवं सचिव से महिलाएं सामूहिक रूप से मिलेंगी और उन्हें लिखित में ग्राम विकास योजना सौंपेंगी तथा उस पर काम करने के लिए कहेंगी। साथ ही ग्राम सभा की अगली बैठक में उस योजना को प्रस्तुत करने के लिए भी कहेंगी।

अब सहजकर्ता फील्ड वर्क की तैयारी करें -

- यह तय करें कि योजना बनाने के लिए ग्रामवासियों को कब एवं कहा इकठ्ठा करेंगे?
- उससे पहले हर फलिए में लोगों को जानकारी देने एवं चर्चा करने के लिए सभी सदस्यों की जिम्मेदारी तय करें।
- पीआरए मेपिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की सूची बनाएं तथा उनकी व्यवस्था करने हेतु जिम्मेदारी तय करें।

ध्यान रखें कि ग्राम विकास योजना बनाने की प्रक्रिया में सहजकर्ता बैठक के बाद भी उपरोक्त तैयारी में परिवर्तन प्रेरकों की मदद करें तथा पीआरए मेपिंग के दौरान वह स्वयं उपस्थित रहें, ताकि तकनीकी रूप से सही नक्शा बन सके। साथ ही लिखित रूप से ग्राम विकास योजना बनाने में भी सहजकर्ता मदद करें।

बैठक -11

भागीदारी का आकलन

उद्देश्य

- समूह एवं ग्राम सभा में परिवर्तन प्रेरक की भागीदारी एवं सवाल पूछने के कौशल का आकलन करना।
- आकलन से सामने आए निष्कर्षों के आधार पर सीख निकालना एवं आगे की योजना बनाना।

विषय-वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
• समूह में भागीदारी की स्थिति • ग्राम सभा में भागीदारी की स्थिति • सवाल पूछने एवं भागीदारी की स्थिति में प्रगति और सीख	• सवाल पूछने की मेपिंग • (पिछले आठ माह में समूह में और ग्राम सभा में पूछे गए सवालों का आकलन करना • दूसरी बैठक की स्थिति से तुलना	• सवालों का चार्ट (ए4 कागज पर, प्रत्येक सहभागी के लिए एक-एक) • नीले, लाल, पीले एवं हरे रंग की बिंदिया या इन रंगों के स्कैच पेन	1 घंटा 30 मिनिट

बैठक संचालन की प्रक्रिया

पिछली बैठक के बाद फील्ड वर्क की रिपोर्ट

पिछली बैठक में ग्राम विकास योजना पर चर्चा की गई थीं तथा उसके बाद सहभागियों ने ग्राम विकास योजना बनाने का कार्य तय किया था। सहभागी इस बैठक में ग्राम विकास योजना पढ़कर सुनाएं और अन्य सहभागियों को अपनी बात रखने का अवसर दें।

अब यह चर्चा करें कि ग्राम विकास योजना को लागू कैसे करेंगे? इसके लिए ग्राम विकास योजना को ग्राम सभा में रखने का निर्णय लें। साथ ही इसे लागू करने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच एवं एवं सचिव से चर्चा करने एवं समन्वय या संवाद कायम करने की जिम्मेदारी कुछ सहभागियों को सौंपें।

उपरोक्त चर्चा के बाद सहजकर्ता इस बैठक के विषय के बारे में बताएं कि "इस बैठक में हम समूह एवं ग्राम सभा में अपनी भागीदारी का आकलन करेंगे। इससे यह पता चलेगा कि हम अपने समूह में कितने सवाल पूछते हैं और इसी तरह ग्राम सभा में कितने सवाल पूछते हैं।"

सवाल पूछने की मेपिंग

बैठक क्रमांक 2 में लगाए गए सवालों का चार्ट दीवार पर लगाएं, जिसमें तीन कॉलम हो, एक कॉलम में सवाल पूछने के बारे में संकेतक, दूसरे में समूह में स्थिति और तीसरे कॉलम में ग्राम सभा में सवाल पूछने की स्थिति दर्शाई गई है। इस चार्ट में चार चित्र हैं।

चित्र एक - कितने सवाल मन में आए : इसमें पूछा जाएगा कि पिछले करीब तीन महीने में उनके मन में समूह के बारे में कितने सवाल आए। इसी तरह ग्राम सभा के बारे में कितने सवाल आए? वे उन सवालों की गिनती लगाए, जो मन में आए (चाहे पूछे हो या नहीं) तथा संबंधित कॉलम में नीले रंग से उतनी बिंदी लगाएं।

चित्र दो : कितने सवालों पर चुप रहे : इस चित्र में यह पूछा जाएगा कि जो सवाल मन में आए, उनमें से

कितने सवालों पर वे बिल्कुल चुप रहे। यानी पूछने के बारे में सोचा भी नहीं। समूह के बारे में ऐसे जितने सवाल हो उनकी लाल रंग की बिंदी समूह वाले कॉलम में तथा ग्राम सभा के बारे में जितने ऐसे सवाल हो उतनी लाल रंग की बिंदी ग्राम सभा वाले कॉलम में लगाएं।

चित्र तीन : कोशिश की, लेकिन पूछ नहीं पाए : समूह में ग्राम सभा में जितने सवालों को पूछने की कोशिश की, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, किन्हीं कारणों से पूछ नहीं पाए। उतनी पीले रंग की बिन्दी संबंधित कॉलम में चिपकाएं।

चित्र चार : कितने सवाल पूछ पाए : समूह में एवं ग्राम सभा में जितने सवाल पूछ पाएं, उतनी हरे रंग की बिंदियां संबंधित कॉलम में चिपकाने को कहें।

अब यह देखें कि पिछले चार्ट में किसकी कितने हरे रंग की बिंदिया थीं। इस बार कितनी बढ़ी? साथ ही यह देखें कि लाल एवं पीले रंग की बिंदियों की संख्या में कितनी कमी आई। जिनकी हरे रंग की बिंदियों की संख्या बढ़ी है, उनकी भागीदारी ज्यादा है।

सहजकर्ता इन संख्याओं पर चर्चा कर सीख निकालें एवं भागीदारी को निरन्तर रखने के लिए क्या सीख निकल रही है, उसे उभारें।

सवालों के बारे में	समूह में	ग्राम सभा में
कितने सवाल आपके मन में आए?		
कितने सवालों पर आप चुप रहे?		
कितने सवालों पर आपने कोशिश की, लेकिन पूछ नहीं पाए?		
कितने सवाल आपने पूछे?		

बैठक -12

बदलाव का आकलन

उद्देश्य

- पिछले दस महीने में गांव में हुए बदलाव का आकलन करना।
- बदलाव से सामने आई सीख को पहचानना और आगामी कार्ययोजना बनाना। (बदलाव आकलन हेतु नीचे दी गई तालिकाओं में दिये गए सवालों को प्रतिभागियों की सलाह और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है।)

विषय-वस्तु	विधि	आवश्यक सामग्री	समयावधि
इन संस्थानों एवं सेवाओं में बदलाव आया– • समूह में बदलाव : सदस्यों द्वारा सवाल पूछना, बैठक आदि • ग्राम सभा में बदलाव • ग्राम पंचायत में बदलाव • स्कूल में बदलाव • गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव • राशन दुकान में बदलाव • आंगनबाड़ी में बदलाव	• बदलाव का मैट्रिक्स	• चार्टपेपर या कार्डशीट • स्कैच पेन या बोल्ड मार्कर पेन	1 घंटा 30 मिनिट

इस बैठक में सहजकर्ता पिछले एक साल में परिवर्तन प्रेरक तथा समूहों के प्रयासों से आए बदलाव का आकलन करेंगे।

समूह मे बदलाव का आकलन

सबसे पहले यह देखेंगे कि समूहों की काम करने के तरीकों में क्या बदलाव आया। इसके लिए चार्ट बनाएंगे, जिसमें समूह में बदलाव के संकेतकों के अनुसार सहभागियों से पूछेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आया?

बैठक संचालन की प्रक्रिया

संकेतक	12 माह पहले की स्थिति	वर्तमान में
समूह की बैठकों का संचालन		
समूह की बैठकों में सदस्यों का बोलना/ सवाल उठाना		
समूह की बैठकों में हिसाब-किताब बताना		
समूह में फैसले लेना		
फैसलों को लागू करने में भागीदारी		
अन्य कोई संकेतक ...		

गांव एवं पंचायत में बदलाव

मुद्दा	संकेतक	12 माह पहले की स्थिति	वर्तमान में
ग्राम सभा में बदलाव	ग्राम सभा का समयानुसार आयोजन ग्राम सभा का कोरम ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति ग्राम सभा में बोलना/ सवाल उठाना ग्राम सभा के फैसलों में भागीदारी फैसलों के क्रियान्वयन हेतु फॉलोअप एवं निगरानी		
ग्राम पंचायत में बदलाव	पंचायत बैठकों में वार्ड पंचों की उपस्थिति सहभागियों द्वारा वार्ड पंचों से अपने मुद्दे पर बात करना एवं मुद्दे उठाना। वार्ड पंच द्वारा सहभागियों के मुद्दों को ग्राम पंचायत की बैठक में रखना।		
	पंचों तथा सहभागियों द्वारा निर्माण कार्यों की निगरानी		

सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं में बदलाव

सार्वजनिक सेवाओं में बदलाव का आकलन

सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं	12 माह पहले क्या दशा थी?	आज क्या बदलाव आया?
स्कूल		
पानी एवं स्वच्छता		
राशन दुकान		
आंगनबाड़ी सह आरोग्य केन्द्र		

महत्वपूर्ण नोट

समर्थन के बारे में

समर्थन - सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1996 से देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित पैरवी करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

Website: www.samarthan.org

टीआरआई के बारे में

ट्रांसफार्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRI) एक गैर-शासकीय पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले महत्त्वपूर्ण सूचकांकों में आशावादी बदलाव लाना है। इसे प्राप्त करने हेतु TRI जमीनी स्तर पर कार्य कर रही उन गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग करती है, जिनका मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना है।

TRI 'समुदाय केन्द्रित' की अवधारणा पर काम करता है, इसका मतलब यह है कि समुदाय स्वयं विकास-रथ का सारथी बनने के लिए उद्वेलित हो तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। स्थाई सकारात्मक परिवर्तन के लिए हम विकास के विभिन मूलभूत आयामों जैसे कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत जवाबदेही एवं सामुदायिक नेतृत्व पर एक साथ काम करते हैं।

Website: www.trif.in

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इण्डिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ)
प्रधान कार्यालय : 3, कम्युनिटी शॉपिंग सेन्टर, नीति बाग, नई दिल्ली–49
वेबसाइट – www.trif.in

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल–462016
ई–मेल info@samarthan.org, **वेबसाइट –** www.samarthan.org